अध्याय–प्रथम
शोध परिचय

अध्याय–1

शोध परिचय

1.0 प्रस्तावना :–

मानवीय मूल्यों का विकास करने में शिक्षा की बहुत ही आवश्यकता होती है। शिक्षा व्यक्ति को वास्तविक शक्ति से सम्पन्न करती है।

डॉ.ए.एस.अल्तेकर (2006) का कथन है :– "ज्ञान मनुष्य का तीसरा नेत्र है, जो उसे समस्त तत्वों के मूल को समझने में समर्थ बनाता है, तथा उसे सही कार्यों में प्रवृत करता हैं।"

महाभारत का कथन है (2006):– "विद्या के समान कोई दूसरा नेत्र नहीं होता।"

कोठारी कमीशन 1964–66 (2006–07):– "भारत के भविष्य का निर्माण उसकी कक्षा में हो रहा हैं।"

1.1 प्राथमिक शिक्षा का अर्थ :–

प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा और औपचारिक शिक्षा की आरम्भिक कडी व आधारशीला है, जो बालक के सामाजीकरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। औपचारिक शिक्षा का आधारभूत स्तम्भ होने के कारण इसे प्राथमिक शिक्षा की संज्ञा देना अधिक उचित प्रतित होता है। प्रारंभिक शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा, बुनियादी शिक्षा, आधारभूत शिक्षा आदि सभी प्रर्यायवाची शब्द हैं। इन सभी का मुख्यतः एक ही अर्थ है। यद्यपि समय पर लेखकों, समितियों, आयोगों ने विभिन्न शब्दावलियों का प्रयोग किया है।

बालकों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक दी जाने वाली शिक्षा प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत आती है, जो कक्षा 1 से कक्षा 8 तक चलती है।

1.2 नीतिगत दृष्टिकोण से प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य:-

स्वतंत्रता के पश्चात् प्राथमिक शिक्षा के विकास को त्वरित गति प्रदान करने हेतु विभिन्न आयोगों, समितियों, योजनाओं आदि का गठन किया गया। इनके अनुसार प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है –

- औपचारिक शिक्षा के साधनों का अधिग्रहण– अक्षर ज्ञान, संख्या ज्ञान तथा शारीरिक कुशलताओं का विकास।
- अपने सामाजिक, भौतिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त करना और उसके प्रति संवेदनशील होना।
- शिक्षा को कार्य–आधारित बनाने के लिए समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों की योजना निर्माण और क्रियान्वयन की कुशलताओं का अधिग्रहण करना।
- छात्रों में राष्ट्रीयता की नीव डालना।
- छात्रों में उत्तरदायित्व की भावना का विकास करना।
- कलात्मक क्रिया–कलापों और प्रकृति पर्यवेक्षण द्वारा सौंदर्यवादी बोध और सृजनात्मक क्षमता का विकास करना।

कोठारी आयोग (1964–66) ने अपने प्रतिवेदन में प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों के सम्बन्ध में लिखा है कि,'आधुनिक प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को भावी जीवन की परिस्थितियों का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए शारीरिक तथा मानसिक प्रशिक्षण देकर इस प्रकार से विकसित करना है कि वह वास्तव में एक उपयोगी नागरिक बन सके।'

1.3. NCERT के द्वारा सन् 1975 में तैयार किये गये दस्तावेज "The Curriculum for the Ten Year School" में प्राथमिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य दिए गये है–

- अन्य व्यक्तियों से वार्तालाप के लिए प्रथम भाषा (मातृभाषा) का ज्ञान प्रदान करना।
- व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए जोड़, घटाव, गुणा व भाग की योग्यता प्रदान करना।
- विज्ञान की खोज विधि (Inquiry method) को सीखना तथा विज्ञान व तकनीकी के महत्व को समझना।
- राष्ट्रीय प्रतीकों (जैस–राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान आदि) तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों व संस्थाओं के प्रति आदर–भाव उत्पन्न करना।
- भारत की मिली–जुली संस्कृति से परिचय कराना तथा अस्पृश्यता, जातिवादी व साम्प्रदायिकता का विरोध करना सीखना।
- मानव–श्रम के प्रति स्वस्थ्य दृष्टिकोण विकसित करना।
- सफाई तथा स्वस्थ्य जीवन की आदतें विकसित करना।
- अच्छाई तथा सौन्दर्य की अभिरूचि बढ़ाना।
- अन्य व्यक्तियों के साथ सहयोग की भावना विकसित करना।
- चरित्र तथा व्यक्तित्व के वांछनीय गुण (जैसे पहल करना, नेतृत्व करना, दयालुता, ईमानदारी आदि) का विकास करना।
- सृजनात्मक क्रियाओं के द्वारा स्वतंत्र अभिव्यक्ति की योग्यता विकसित करना।
- स्व–अध्ययन की आदत डालना।

1.4. विविध पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिक शिक्षा (Primary Education in Different five year plans) :-

ब्रिटिश शासन काल से जिस प्रकार से भारत का आर्थिक, सामाजिक, मानवीय आदि क्षेत्रों में दोहन किया गया, स्वतंत्रता के पश्चात इस देश के सामने एक बड़ी चुनौती थी कि, किस प्रकार हम अपने को विश्व समुदाय के समक्ष प्रगति के दौर में आगे कर सकें।

दुर्भाग्य की बात है कि,शिक्षा जिस पर हमने बड़ी आशायें लगाई थी और जिसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, उसे आजादी के बाद उपयुक्त महत्व नहीं दिया गया। जबकि अन्य देश अपने बजट का 7 से 8 % भाग शिक्षा पर खर्च करते हैं। भारत में इस पर केवल 3% खर्च किया जाता रहा है। इन वर्षो में यह प्रतिशत बढ़कर 3.9% हो गया है। इस प्रकार हमने मानव उन्नति व विकास के महत्वपूर्ण साधन के प्रति अवहेलना दिखायी है। हमारे देश में शिक्षा को एक उपेक्षित क्षेत्र समझा गया तथा आर्थिक व अन्य साधनों के अभाव के कारण यह स्थिति अत्यन्त खेदजनक बन गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में शिक्षा पर कुल व्यय का 56% प्राथमिक शिक्षा पर व्यय किया गया। दूसरी योजना में 35% व तीसरी योजना में 34% कर दिया गया। आठवी योजना में यह प्रतिशत 47% व नवीं योजना में 65.7% तथा दसवी योजना में 65.6% है। स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा की महत्ता को मद्देनजर रखते हुए इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में प्राथमिक शिक्षा पर किया गया व्यय निम्न है।

स्वतंत्रता के पश्चात संविधान की धारा 45 के मंशानुसार प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में बड़ी तीव्र गति से वृद्धि हुई तथा उनमें नामांकन भी तेजी के साथ बढ़ा फिर भी हम सार्वभौमिक नामांकन के लक्ष्य

से काफी पीछे है। इन विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या में भी तीव्र गति से वृद्धि हुई है। प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा में प्रजातांत्रिक परिवर्तन की आवश्यकता है। हमें शिक्षा बालकेन्द्रित रूप में अपनानी होगी। छात्रों की रूचियों के अनुरूप तथा क्रियाकलापों पर आधारित शिक्षा विधि को अपनाना होगा। प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम को छात्र की रूचियों एवं समाज की आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित करना होगा। तथा साथ ही साथ विद्यालयों को शैक्षणिक संसाधनों से परिपूर्ण बनाना होगा। कार्यरत अध्यापकों की क्षमता का संवर्धन करना होगा तथा विद्यालय प्रयोजन में सामाजिक सहभागिता को बढ़ावा देना होगा। इन सारे प्रयासों के बाद ही सार्वभौमिक नामांकन तथा गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है।

1.5. प्राथमिक शिक्षा से सम्बंधित योजनाएँ/ परियोजनाएँ/ कार्यक्रम/

नवाचार :–

सन् 1976 से पूर्व शिक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ राज्यों की हुआ करती थी। सन् 1976 में संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया। केन्द्र सरकार शिक्षा सम्बन्धी नितियों और कार्यक्रम तैयार करने तथा इसकी निगरानी करने में मुख्य भूमिका निभाती आ रही है। इसमें सबसे उल्लेनीय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, प्रोग्राम ऑफ ऐक्शन 1986 व संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1992 है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिस राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना है उसमें ऐसे पाठ्यक्रम के राष्ट्रीय ढाँचे की बात कहीं गई है जिसमें एकरूपता तो है, लेकिन साथ ही क्षेत्र विशेष के विषयों को शामिल करने योग्य लचीलापन भी हो। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढाने और इसे राष्ट्रीय आय के कम से कम 6% तक के स्तर पर लाने पर भी जोर दिया गया है।

शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी परियोजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए, 'भारतीय शिक्षा कोष' का गठन किया गया है। वर्ष 1951-52 में शिक्षा पर खर्च सकल घरेलू उत्पादन 0.64 % था, जो कि 2002-03 में बढकर 3.9% हो गया तथा इसे 6% तक बढाने का लक्ष्य रखा गया है।

➢ **शिक्षा के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएँ/कार्यक्रम निम्नलिखित है :-**

1.5.1. नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा प्रोग्राम ऑफ एकशन 1986:-

तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने जनवरी 1985 में घोषणा की थी कि, देश के लिए नई नीति का निर्माण किया जायेगा। इसके निर्माण की प्रक्रिया के दौरान भारत सरकार ने अगस्त, 1985 में एक दस्तावेज 'शिक्षा की चुनौती' नीति सम्बन्धी परिप्रेक्ष्य जारी किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सुचारू ढंग से लागू करने के लिए एक क्रियान्वयन कार्यक्रम भी तैयार किया। इसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा के बारे में प्रमुख रूप से निम्न बातों पर ध्यान दिया गया था-

- 6-14 वर्ष तक के बालकों को विद्यालय में नामांकित कराना तथा उनका विद्यालय में टिके रहना सुनिश्चित करना।
- शिक्षा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार लाना। विद्यालय में पाठ्य-सामग्री क्रियाओं के आयोजन पर जोर देना।
- प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान किया जायेगा। इसके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड अभियान चालू किया जायेगा।
- स्कूल छोड देने वाले बालकों की समस्या का समाधान करने को उच्चतम प्राथमिकता दी जायेगी।
- प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की पद्धति बालकेन्द्रित तथा गतिविधियों पर आधारित होनी चाहिए।

1.5.2. संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति– 1992 तथा प्राथमिक शिक्षा (Revised national Policy on Education, 1992) :–

1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अधिक सार्थक एवं प्रभावशाली बनाने के लिए इनमें संशोधन कर 1992 की संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रस्तुत की गई। प्रा.शि. के क्षेत्र में इसमें मुख्य संशोधन निम्न है:–

1. सार्वजनिक पहुँच और नामांकन।
2. 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा–क्षेत्र में बनाए रखना।
3. शिक्षा की गुणवत्ता में पर्याप्त सुधार, ताकि सभी बच्चे आवश्वक स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर सकें।

प्राथमिक स्कूलों में अनिवार्य सुविधाओं की व्यवस्था की जाएगी। सभी मौसमों में उपयोग योग्य पर्याप्त रूप से तीन बडे कमरों तथा **ब्लैक बोर्ड, नक्शों, चार्टों, खिलौनों, अन्य आवश्यक अध्ययन सहायक सामग्री और स्कूल पुस्तकालय की व्यवस्था करने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के क्षेत्र को बढाया जाएगा।**

स्कूल छोड़ने वालों बिना स्कूलों वाली, बस्तियों के बच्चों, कामकाजी बच्चों और पूरे दिन स्कूल में न रह सकने वाली बालिकाओं के लिए तैयार किए गए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम को शुद्ध बनाया जाएगा।

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के अधिगम वातावरण को सुधारने के लिए आधुनिक प्रोद्योगिकी साधनों का प्रयोग किया जाएगा।

इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर ले लेगी। गैर औपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों को चलाने का अधिकतर दायित्व स्वयंसेवी एजेंशियों और पंचायती राज की संस्थाएँ लेंगी। इन एजेंसियों को समय–समय पर पर्याप्त धन दिया जाएगा।

1.5.3. ऑपरेशन ब्लैड बोर्ड (Operation Black Board OBB) :–

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार योजनाए चालू की गई जिनमें ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड सर्वप्रमुख है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में इस सन्दर्भ में उल्लेख किया गया है–

'प्राथमिक विद्यालयों में आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की जायेगी। इनमें किसी भी मौसम में काम देने लायक कम से कम दो बडे कमरे, आवश्यक खिलौने, ब्लैक बोर्ड,नक्शे,चार्ट, आदि शिक्षण सामग्री शामिल है। हर स्कूल में कम से कम दो शिक्षक होगे, जिनमें एक महिला होगी। यथाशीघ्र प्रत्येक कक्षा के लिए एक–एक शिक्षक की व्यवस्था कि जाएगी। पूरे देश में प्राथमिक विद्यालयों की दशा को सुधारने के लिए एक क्रमिक अभियान शुरू किया जायेगा। जिसका सांकेतिक नाम OBB होगा।

OBB योजना देश के प्राथमिक विद्यालयों में मौजूद **मानव संसाधन और भौतिकम संसाधन, अध्ययन अध्यापन संसाधन,** में सुधार के लिए 1987–88 में शुरू की गई थी। हर मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों में दो बडे कमरों, कम से कम दो। शिक्षकों और जरुरी शिक्षण सामग्री की व्यवस्था करना इस योजना का मुख्य अंग है। जिन विद्यालयों में नामांकन 100 से बढ जाये वहाँ एक तीसरे शिक्षक की व्यवस्था की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत अब तक 5,23,000 प्राथमिक विद्यालयों तथा 1,27,000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों का शैक्षिक, संसाधन के विकास हेतु अनुदानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त इस योजना के अन्तर्गत एकल प्राथमिक विद्यालयों हेतु 1,50,000 शिक्षकों, उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 76,000 शिक्षकों तथा प्राथमिक विद्यालयों में तीसरे शिक्षक के रूप में 83,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जा चुकी है। हालाँकि इसके दायरे में सभी विद्यालय नहीं आ सके परन्तु सर्व शिक्षा अभियान मौजूदा ढाँचे में गुणात्मक सुधार लायेगा और इसका

विस्तार करेगा। इस योजना को 2002-03 से SSA में मिला दिया गया। हालाँकि योजना आयोग ने निर्णय लिया है कि, विशेष मामले के तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में OBB अभियान का दसवी पंचवर्षीय योजना में भी जारी रखा जायेगा।

1.5.4. अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्य कार्यक्रम (Orientation Programme of Primary school Teachers) :-

विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा 1986 से प्रारंभ्भ किया गया जिसका उद्देश्य अध्यापको को राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की मूल संस्तुतियों से अवगत कराना रहा है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने इसके लिए दो खण्डो में प्रशिक्षण सामग्री का निर्माण किया।

(1) प्राथमिक विध्यालय के शिक्षकों के लिए।

(2) माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों के लिए।

सन् 1990 तक इस योजना के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों को विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक सामग्री प्रदान की जा चुकी थी। सन 1990-91 में इस कार्यक्रम को प्रीमोस्ट ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में बदल दिया गया था, एक नई प्रशिक्षण सामग्री की संरचना की गई। इसमें अध्यापकों को ओं.बे.बोर्ड में प्रदान की गई शैक्षणिक सामग्री के समुचित उपयोग की विधि सिखायी गई।

1.5.5. शिक्षकों के लिए विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम (Special orientation Programme for teachers (SOPT) :-

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में सेवारत अध्यापको के प्रशिक्षण का उत्तर दायित्व राष्ट्रीय शैक्षिक

अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली को विशेष अभिविन्यास योजना के अन्तर्गत सौप दिया; इस समय NCERT का अध्यापक शिक्षा एवं विशेष शिक्षा विभाग अपने अन्य सम्बंधित विभागों जैसे– विद्यालय पूर्व एवं प्रारंम्भिक शिक्षा विभाग, केन्द्रीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालयों (अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, सिलोंग तथा मैसूर) एवं क्षेत्रीय सलाहकारों के समन्वय और सहयोग से इस कार्यक्रम का संयोजन कर रहा है। इसके अन्तर्गत संपूर्ण देश में 1993–94 में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्ततुत किये गये और यह लक्ष्य रखा गया कि प्रतिवर्ष 4.5 लाख प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

1.5.6. उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा

उत्तर प्रदेश सभी के लिए शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परियोजना का क्रियान्वयन 1992 में हुआ था। इस परियोजना में 3 लक्ष्य निर्धारित किये थे–

1. संस्थागत क्षमता में वृद्धि।
2. गुणवत्ता में सुधार।
3. बेसिक शिक्षा की उपलब्धता में सुधार।

1.5.7. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (District Primary Education Programme) :–

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम केन्द्र सरकार द्वारा संचालित एक योजना है जिसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। उच्च प्राथमिक शिक्षा इसके दायरे से बाहर है। इसका क्रियान्वयन 1994 में हुआ D.P.E.P. के अन्तर्गत मुख्य कार्य निम्न है –

- नये प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण, कक्षा कक्षों का निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना, शिशु–शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना।
- नये अध्यापकों की नियुक्ति करना, राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) एवं डायट को मजबूत करना, ब्लॉक संसाधन केन्द्र तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र की स्थापना करना, शिक्षक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आदि।
- **शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास,** बालिका शिक्षा एसी/एस.टी व विकलांग बच्चों की शिक्षा हेतु नवाचार को अपनाने पर जोर देना आदि।

1.5.8. शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक तथा नवाचारिक शिक्षा :–

EGS तथा AIE सर्व शिक्षा अभियान का एक महत्वपूर्ण घटक है। जिसका उद्देश्य मलीन बस्तियों में रहने वाले 6 से 14 वर्ष के ऐसे बच्चें जिन्होंने बीच में पढाई छोड दी है, उनकों प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करना है। दूसरे राष्ट्रों में इसका मूल उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है।

1.5.9. मध्याह्न भोजन योजना :–

इस योजना का नाम राष्ट्रीय प्राथमिक पोषणिक समर्थन योजना है। जिसका प्राथमिक नाम मध्याह्न भोजन योजना है। यह 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक विद्यालयों में लागू कि गई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को पौष्टिक तत्व उपलब्ध कराने के साथ–साथ उनके नामांकन तथा नियमित उपस्थिति को प्रोत्साहित करना था। प्रारम्भ में इस योजना के अन्तर्गत प्रति छात्र 3 किलो प्रति माह की दर से प्रत्येक छात्र को खाधान्न उपलब्ध कराया जाता था, परन्तु वर्तमान में पकाया भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

1.5.10. शिक्षाकर्मी परियोजना :–

शिक्षाकर्मी परियोजना का मुख्य उद्देश्य सुदूर, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से पिछडे गाँवों में प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता एवं गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। यह परियोजना बालिका शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देता है। इस योजना का कार्यक्षेत्र राजस्थान है। इस परियोजना ने यह खुलासा किया है कि, प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण का लक्ष्य हासिल करने में सबसे बडी बाधा स्कूलों से शिक्षकों के गायब रहने की प्रवृत्ति है।

1.5.11. लोक जुम्बिश परियोजना (Lok Jumbish Project) :–

राजस्थान में स्वीडिश अंताराष्टीयकी विकास एजेन्सी की सहायता से प्रयोगात्मक परियोजना 'लोक जुम्बिश' शुरु, की गई है। इसका लक्ष्य जनसक्रियता ओर जन सहभागिता के जरिये सबको शिक्षा उलब्ध कराना है। स्थानिय समुदायों और स्वैच्छिक संगठनों के साथ साझेदारी बनाना (स्कूल चिन्हित करना) सामुदायिक केन्द्र, स्कूल भवन कार्यक्रम के लिए नई डिजाइन विकसित करना और सक्रियता बनाना इस परियोजना के अंग हैं।

इस परियोजना का पहला चरण जून, 1992 से जून, 1994 के दौरान कार्यविनत हुआ। पांचवे संयुक्त समीक्षा मिशन ने जनवरी, 2004 में राजस्थान का दौरा किया और काम–काज का जायला लिया और मिशन ने सुझाव दिया कि सर्व शिक्षा अभियान में इस परियोजना का विलय हो जाने के बाद इसकी प्रक्रियाओं और परम्पराओं को मुख्य योजना में संज्ञा दी जाए।

1.5.12. राष्ट्रीय बाल भवन (National Bal Bhawan) –

राष्ट्रीय बाल भवन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा पूर्णतः वितयोजित स्वायत्तशासी निकाय है, जिसकी स्थापना 5–16 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य बच्चों की सृजनात्मक क्षमता को बढाना, उनकी सोच को वैज्ञानिक बनाने के साथ ही बच्चों मे चुनौती स्वीकारने, अनुभव प्राप्त करने, कुछ नया कर दिखाने एवं रचनाशीलता को बढाने की भावन पैदा करना था। इसकी स्थापना 1956 में पंडित जवारलांल नेहरू द्वारा की गयी थी।

इस समय पूरे देश में 73 बाल भवन हैं, जो एन.बी.बी. से सम्बद्ध है। दिल्ली कि झोपड–पट्टी इलाकों, ग्रामीण इलाको, पुनर्स्थापित कोलोनियों जहॉ सुविधा वंचित बच्चें रहते हैं उसमें 52 बाल भवन केन्द्र खोले गयें ताकि इनका लाभ सुविधावंचित बच्चों को मिल सके। इनका संचालन अंशकालिक प्रशिक्षक करते है।

राष्ट्रीय बाल भवन में विज्ञान, रचनात्मक कला एवं शिल्प, मंचीय कला, फोटोग्राफी, सिलाई/ कढाई, खेल प्रकाशन सम्बंधी गतिविधियों आदि विषयों पर व्यापक कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

1.5.13.प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

(National Prog. for Edu. of Girls at Elementry level) :-

जुलाई, 2003 में भारत सरकार ने बालिका शिक्षा को बढावा देने के लिए विद्यमान सर्वशिक्षा अभियान में संशोधन करते हुए N.P.E.G.E.L. परियोजना की संस्तुती की। यह परियोजना सर्व शिक्षा अभियान की छत्र–छाया में कार्य करेगी इस परियोजना के मुख्य कार्य निम्न है :–

- सामूहिक रूप से एक साथ बालिका विद्यालयों की स्थापना करना।

- प्रत्येक बालिका को अतिरिक्त शैक्षिक प्रोत्साहन के रूप में आवश्यक स्टेशनरी, स्लेट, पुस्तक, युनीफार्म या अन्य आवश्यक सामग्री। जिसकी अनुभूति बालिका कर रही है।, उपलब्ध कराना, परन्तु इसके लिए प्रति छात्र व्यय धनराशि 150 रू. वार्षिक से कम होनी चाहिए।
- शिक्षण सामग्रीयों का विकास करना।
- योजना प्रशिक्षण एवं प्रबंधन सहायता करना।

1.5.14. महिला समाख्या कार्यक्रम :–

महिला समाख्या कार्यक्रम (महिलाओं की समानता के लिए शिक्षा) ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली, खासकर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर तबके की महिलाओं की शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए एक ठोस कार्यक्रम है। यह योजना 9 राज्यों के 60 जिलों में 13000 से ज्यादा गॉवों में चल रही है। इस कार्यक्रम की शुरूआत 1989 मे की गई थी।

1.5.15 कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना –

यह योजना अनुसूचित जाति/जनजाति अन्य पिछडा वर्ग और अल्प संख्यक वर्ग की महिलाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए चालू की गई। जिन जिलों में महिला साक्षरता 10 प्रतिशत से कम है वहां इस योजना के अन्तर्गत 300 आवासीय विद्यालय बनाने का प्रस्ताव किया गया है। शुरू में इन विद्यालयों में कक्षा 5 तक की पढ़ाई होने का प्रावधान है फिर धीरे–धीरे ग्रमीण इलाकों में इसका स्तर बढाया जायेगा।

1.5.16 पूर्व बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा :–

विद्यालयीय जीवन में प्रवेश से पूर्व बालक की स्कूली शिक्षा के लिए अपेक्षित तैयारी नितान्त आवश्यक है। प्राचीन काल से ही बच्चे की माँ प्रथम शिक्षिका के रूप में मानी जाती रही हैं। परिवार में बालक को एक यह

परिवेश उपलब्ध कराया जाता था जिससे प्रेरित होकर वह अपने विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके। आज की तनावपूर्ण एवं व्यस्त जिंन्दगी ने परिवार के इस कार्य को कठिन बना दिया है। भारतीय संविधान में इस कार्य की जिम्मेदारी राज्य को सौंपी गई है।

कोठारी आयोग के शब्दों में :-

"1947 के पूर्व राज्य द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के प्रति बहुत कम ध्यान दिया गया और उसे राज्य उत्तरदायित्व नहीं माना गया है।"

1950-51 से पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 303 थी, जो 1965-66 में बढकर 3500 हो गयी है।

हाल ही में संचालित राष्ट्रीय कार्यक्रम प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (NPEGEL) में उन स्थानों पर, जहाँ विद्यालयीन सेवा उपलब्ध नहीं है, सामुदायिक सहभागिता से प्रति कलस्टर से ECCE केन्द्र खोलने की बात कही गई है। इसके लिए प्रत्येक केन्द्र को प्रतिवर्ष 5000 रूपये आवर्ती अनुदान तथा 1000 रू. अनावर्ती अनुदान (Non Recurring) प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।

1.6. सर्व शिक्षा अभियान योजना :-

भारतीय संविधान की 45वीं धारा में 6 से 14 वर्ग तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा निति, 1986 तथा कार्य योजना, 1992 में इसके लिए संकल्प किया गया।

सभी राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने 1998 में यह संकल्प किया कि सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा एक मिशन के रूप में स्वीकार करके संचालीत की जानी चाहिए। इस सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर

"सर्व शिक्षा अभियान" योजना विकसित की गयी जिसमे सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। जिसे नवम्बर, 2000 में मंजुर किया गया। यह अभियान पूरे देश में चलाया जा रहा है, जिससे लडकियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और कठिन परिस्थितियों के अन्य बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

1.6.1. सबके लिए शिक्षा का घोषणा पत्र :-

मार्च, 1990 में जोमेतिएन, थाइलेण्ड में आयोजित सबके लिए शिक्षा संबंधी विश्व सम्मेलन में एक घोषणा पत्र द्वारा सभी सदस्य राष्ट्रों और अन्तरराष्ट्रीय अभिकरणों (एजेसियों) से वर्ष 2000 तक सबके लिए शिक्षा (स. लि.शि.) का लक्ष्य पूरा करने के कारगर उपाय करने की मांग कि गई। शिक्षा के बारे में विश्व घोषणा पत्र में स्वीकृत परम लक्ष्य सभी बच्चों, युवाओं और प्रौढों के लिए ज्ञानार्जन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करना है। ये आवश्यकताएं इस प्रकार है-

- साक्षरता, मौखिक अभिव्यक्ति, अंकज्ञान और समस्या समाधान जैसे ज्ञानार्जन के अनिवार्य कौशल।
- ज्ञान कौशल, मूल्य और मनोवृत्ति जैसे बुनियादी ज्ञानर्जन के विषयवस्तु।

1.6.2 सर्व शिक्षा अभियान के प्रमुख उद्देश्य और लक्ष्य :-

सबके लिए शिक्षा संबंधी विश्व घोषणा पत्र और ज्ञानार्जन संबंधी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के कार्य की रूपरेखा पर देश में शिक्षा निति निर्माण के सर्वोच्च निकाय, केन्द्रिय शिक्षा सलाहकार परिषद ने 1991 और 1992 में विचार किया था। इस प्रकार सबके लिए शिक्षा के लक्ष्यों को राष्ट्रीय योजन की रूपरेखा में शामिल कर लिया गया हैं। इस रूपरेखा के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर पर सभी विकास कार्यों का मार्गदर्शन किया जाता है।

- 2010 तक 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ करना।
- बालिकाओं, विकलांग बच्चों और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों सहित सभी बच्चों की प्रारंभिक कक्षाओं में दाखिल कराना और उनके लिए उच्च प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
- सभी बच्चों के लिए संतोषजनक गुणवत्तायुक्त शिक्षा के प्रावधान को शामिल करके सार्वजनिक प्रारंभिक शिक्षा के लक्ष्य का विस्तार करना।
- समेंकित बाल विकास सेवा के कार्यक्रम के माध्यम से बडे पैमाने पर शैशवकालीन देखभाल कार्यक्रम चलाना।
- बीच में विद्यालय छोडने वाले कामकाजी बच्चों और औपचारिक विद्यालय न जा सकने वाली बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करना।
- शिक्षक की क्षमता का विकास करना।
- प्रौढ शिक्षा और साक्षरता कार्यक्रम करना।
- राज्य को योजना निर्माण की इकाई मानने की बजाय जिले को बुनियादी शिक्षा कार्यक्रमों की इकाई मानना।
- कार्यक्रमों को कार्यरूप देने और उनका अनुश्रवण (मॉनीटरिंग) करने में समुदाय की भागीदारी बढाना।
- वंचित वर्गो तक उन्नत सुविधाओं की पहुच करना।
- विद्यालयों में कार्यालय के निरीक्षण कार्य में विद्यालय प्रबंध समितियों के साथ समुदाय की भागीदारी की व्यवस्था करना।
- वित्तीय सहायता में बढ़ोतरी करना।

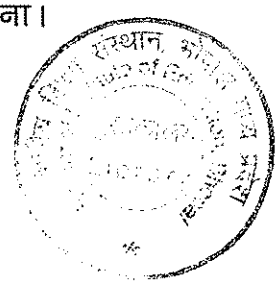

1.6.3 सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख विशेषताएँ :-

- यह बेसिक शिक्षा द्वारा सामाजिक समानता स्थापित करने का एक प्रयास है।
- यह पंचायती राज संस्थाओं विद्यालय प्रबंध समितियों ग्राम तथा शहरी गन्दी बस्तियों की शिक्षा समितियों, शिक्षक अभिभावक संघ, मदर टीचर संघ तथा कबायली स्वायत् परिवारों को प्रारंभिक स्कूलों के प्रबंध में शामिल करने का प्रयास है।
- यह सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा के लिए राजनीतिक संकल्प की एक अभिव्यक्ति है।
- यह केन्द्र राज्य तथा स्थानीय शासन की साझेदारी का एक संकल्प हैं।
- यह संस्थागत क्षमता पर बल देता है, जिससे गुणवत्ता में सुधार लाया जा सके।
- इसमें बालिकाओं की शिक्षा को प्राथमिकता प्रदान की गयी है।
- सर्व शिक्षा अभियान के ढांचे में जिला प्रारंभिक शिक्षा योजना को आधार बनाया गया है।
- इस अभियान कि अवधि 10 वर्ष निधारित की गई है।

1.6.4. सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत गुजरात मे कियान्वित सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम :-

1. नामांकन प्रशिक्षण :-

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिक नामांकन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया है। नामांकन के लिए समाज जागृति करने पर बल दिया गया हैं। बालिकाओं की शिक्षा में सहभागिता बढाने के लिए विशेष प्रयास किये गये है। नामांकन के लिए अभिभावकों से

भेटवार्ता तथा ग्राम शिक्षा समित का सहयोग लेने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

2. वैकल्पिक शिक्षा के लिए प्रशिक्षण :–

सार्वभौमिक नामांकन के लक्ष्य को जब औपचारिक शिक्षा से पूर्ण नहीं किया जा सका तो शिक्षा का प्रसार करने के लिए और वंचित घटकों की शिक्षा की मुख्य धारा में जोडने के लिए वैकल्पिक शिक्षा को देश में शुरू किया गया। इसमें जो बालक विद्यालय में नियमित जाकर शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकतें उनकों उनकी सुविधा के अनुसार शिक्षा दी जाती है।

3. टी.एल.एम.के लिए प्रशिक्षण :–

शिक्षा को प्रभावी एव मनोरंजक बनाने के लिए और उसमें विविधता लाने के लिए शैक्षणिक सामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शिक्षण साहित्य सामग्री का निर्माण करने एवं उसका कक्षा में उपयोग करने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाता है।

4. बालमेला प्रशिक्षण :–

बालकों में सुप्त अवस्था में जो विविध गुणों को प्रदर्शित करने के लिए बालमेला यह एक प्रभावी माध्यम है। इसके द्वारा बालको में सृजनात्मकता व जिज्ञासा का विकास किया जाता है। साथ ही उनमें आत्मविश्वास बढता है।

5. पढ़ना–लिखना–गिनना प्रशिक्षण :–

बिटिश काल से ही शिक्षा के मुख्य बिन्दु 3R (Reading- पढना, Writing- लिखना, Arithmatic- गिनना) इनको विकसित करना यह रहा है।

बालक में यह प्राथमिक शिक्षा की प्रथम प्राथमिकता रही है। इसलिए इनको बालक की पूर्णता दक्ष करने के लिए यह प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाता है।

6. विकलांग बाल शिक्षा प्रशिक्षण :–

विकलांग बालक विद्यालय में अन्य बालकों से अलग होते हैं। उनमें शारीरिक व मानसिक कमी के कारण हिनता की भावना निर्माण होती है। संकलित शिक्षा प्रणाली में अध्यापक को उनकी विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अध्ययन करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

7. जेन्डर शिक्षा प्रशिक्षण :–

इस प्रशिक्षण में बालक–बालिका समान दृष्टिकोण विकसीत करने हेतु प्रशिक्षण दिया गया है।

8. योग शिक्षा प्रशिक्षण :–

विद्यालय का दैनिक प्रारंभ प्रार्थना व योग एवं सुभाषित बोलकर मूल्य शिक्षण कार्यक्रम से करने का प्रशिक्षण दिया जाता है।

9. क्रियात्मक अनुसंधान प्रशिक्षण :–

विद्यालय में उत्पन्न होने वाली शिक्षा की दैनिक समस्याओं को दूर करने के लिए व प्रभावात्मक शिक्षा के लिए क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम चलाया गया है।

10.सूक्ष्म आयोजन प्रशिक्षण :–

सूक्ष्म आयोजन शिक्षा में समुदाय को सक्रियता बढाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है।

11.गुणवत्ता व्यवस्थापन प्रशिक्षण :–

शिक्षा को गुणवत्ता युक्त बनाने के लिए विद्यालय में शैक्षिक आयोजन एवं अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया को असरकारक बनाने के लिए गुणवत्ता व्यवस्थापना प्रशिक्षण दिया जाता है।

12.आपत्ति व्यवस्थापन प्रशिक्षण :–

कुदरती आपत्ति के समय में आपत्ति से बचाव हेतु विद्यालय के बालकों एवं लोगों की सहायता करने हेतु आपत्ति व्यवस्थापन का प्रशिक्षण दिया जाता है।

1.7. अध्ययन अध्यापन सामग्री अनुदान (शिक्षक अनुदान) :–

भारत में प्राथमिक शिक्षण का सार्वत्रिकरण की जुबेश के फल स्वरूप सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम चलाया गया था। सर्वशिक्षा अभियान समाज को, समाज की भागीदारी से प्राथमिक शिक्षण को सार्वत्रिक बनाने का प्रयत्न है। समग्र राष्ट्र में गुणवत्तायुक्त प्राथमिक शिक्षण देना यह योजना का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक शाला में बालक का नामांकन हो और नांमाकन किए गए बच्चें स्कूल में आए यह बहुत जरूरी है। शैक्षिक साधन "अध्यन–अध्यापन की प्रकिया" आनंदमय बनाने में उपयोगी है। इससे बच्चों में जिज्ञासा जन्मती (उदभवती) है। S.S.A. के माध्यम से शिक्षकों को अध्ययन अध्यापन सामग्री अनुदान 500/रु. दिया जाता है। यह अनुदान द्वारा शिक्षक शैक्षिक साधन का निर्माण कर सके या खरीद सकते है। इसके लिए वर्ग शिक्षक को 500रु. की ग्रान्ट दी जाती है।

1.7.1. अध्ययन–अध्यापन सामग्री (Teaching Learning Materaial) :–

अध्ययन– अध्यापन सामग्री यानि, जिससे शिक्षण कार्य को ज्यादा असरकारक और जिवंत बना सके। इसको अंग्रेजी में (Teaching learning material) कहते है। जिसे TLM कहा जाता है।

- अध्ययन अध्यापन सामग्री यानि क्षमतालक्षी क्रियाशील उपकरण।
- अ.अ.सा. यानि मानसिक प्रक्रिया से संम्बधित प्रवृत्ति, शारीरिक प्रक्रिया से संम्बधित प्रवृत्ति।

1.8. अध्ययन अध्यापन सामग्री की उपयोगिता :–

- शैक्षणिक क्षमतालक्षी क्रियाशील साधनों से विद्यार्थी का सर्वांगी विकास हो सकता है।
- शैक्षिक खिलौने से खेलते–खेलते उनमें चेतना उत्पन होती है और नया कार्य करने की शक्ति उत्पन्न होती है।
- शिक्षण इकाई की संकल्पना स्पष्ट हो सकती हैं।
- शैक्षिक कार्य के दौरान विद्यार्थी का ध्यान केन्द्रित रहता है।
- इससे कम समय में ज्यादा शिक्षण ले सकते है।
- शैक्षिक साधन से शिक्षण लम्बे समय तक रहता है।
- विद्यार्थी में अवलोकन (निरीक्षण) शक्ति और तर्कशक्ति में बढावा होता है।

1.9. टी.एल.एम. के प्रकार :–

1. Readymade learning Material (RLM) :-

   इस प्रकार के शैक्षिक साधन तैयार मिलते हैं। यह खुद बना सके ऐसे नही होते। लेकिन वह शिक्षा में बहुत उपयोगी है। उदाः सूक्ष्मदर्शकयंत्र, (माइक्रोस्कोप)।

2. Low cost material (LCM) :-

   इस प्रकार के शैक्षिक साधन बनाने में खर्चा कम होता है। जैसे कि चार्ट्स

3. Self Learining Material (S.L.M.)

इस प्रकार के शैक्षिक साधन बनाने में कम दाम कि चीजों का उपयोग करके बनाया जाता है जैसे कि थर्माकोल, फेविकोल, रंगिन कागज आदि का उपयोग करके बनाया जाते हैं। जैसे की, अंक चक्र

4. No. Cost Material (N.C.M.) :-

इस प्रकार के शैक्षिक सामग्री पर्यावरण में से मिल जाती है। जैसे कि पेड के पान।

1.10. समस्या का अर्थ व परिभाषा :–

किसी भी क्षेत्र में अनुसंधान कार्य के मार्ग में सबसे विकट समस्या, समस्या के चयन की हैं । मानव समाज अपानी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अनेक साधनों को अपनाता है, यदि किसी आवश्यकता की संतुष्टि किसी उपलब्ध साधन द्वारा नहीं हो पाती तो एक समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आवश्यकता की संतुष्टि के मार्ग में उपस्थित बाधा की समस्या के साधन उपलब्ध हो जाते है, तो बाधा दूर हो जाती है और आवश्यकता की सन्तुष्टी के साथ ही समस्या का अन्त हो जाता है। अर्थात्, समस्या :– आवश्यकता –– साधन

परिभाषा :– "समस्या एक प्रश्नवाचक बाक्य अथवा विवरण है, जिससे दो चल राशियों में सम्बन्ध ज्ञात किया जाता है।"

–करलिगर के अनुसार

1.11 समस्या कथन :–

सर्व शिक्षा अभियान योजना के अन्तर्गत दिया जा रहा अध्ययन अध्यापन सामग्री अनुदान की उपयोगिता– एक अध्ययन

1.12 अध्ययन की आवश्यकता :-

भारत के स्वतंत्र होने के बाद प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया। विविध आयोग, योजनाएँ, परियोजनाएँ, कार्यक्रम और नवाचार द्वारा प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता सुधार करने के लिए कार्यवाही की गई। प्राथमिक स्कूलों में अध्ययन अध्यापन सामग्री जैसी कि फर्नीचर, श्यामपट, घडी, घडा, विविध रजिस्टर, आवश्यक पुस्तकें, नक्शें, ग्लोब, वस्तुपाठ और ड्राईग कृषि तथा चित्र चार्ट जैसी अन्य सामग्री आदि अध्ययन अध्यापन सामग्री की व्यवस्था करने का कार्य किया गया। फिर भी इन सब की गुणात्मक असर दिखने नहीं मिली। इसलिए सर्व शिक्षा अभियान योजना अन्तर्गत शिक्षक अनुदान दिया जा रहा है।

सूंपर्ण शिक्षा प्रणाली की प्रक्रिया की श्रृंखला में अध्यापक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। शासकीय स्तर पर शिक्षा की चाहे कितनी मनोहर योजना बना ली जाए किन्तु अध्यापक यदि उसे ठिक ढंग से कार्यन्वित ना करे तो वह योजना कदापि सफल नहीं हो सकती। अध्यापक ही शिक्षा का आधार स्तंभ है। इस अध्ययन में हरएक शिक्षक को सर्व शिक्षा अभियान योजना अंतर्गत अध्ययन अध्यापन सामग्री करने के लिए वर्ष के शरु में ही 500 रू. का अनुदान दिया जाता है। यह अनुदान शरु किए 10 साल हो गए है। इस लिए अध्ययन अध्यापन सामग्री अनुदान के उद्देश्य कहा तक पूर्ण हुए या नहि यह जानना आवश्यक है। इस लिए यह योजना की प्रवर्तमान स्थिति जानने के लिए यह अध्ययन की आवश्यकता है।

1.13 अनुसंधान के उदेश्य

- शिक्षक द्वारा खरीदे गये या तैयार किए गए टी.एल.एम.का शैक्षिक प्रवृत्ति में संबंध ज्ञात करना ।

- खरीदे गये और बनाये गये टी.एल.एम.ओर विषयवस्तु के बीच सम्बंध ज्ञात करना ।
- शिक्षक द्वारा टी.एल.एम.का उपयोग होता है या नहीं यह ज्ञात करना।

1.14 क्रियात्मक परिभाषाए (Operational Definitions of Key terms) :-

1. **टी.एल.एम.(TLM) :–** अध्ययन अध्यापन सामग्री/ शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य में उपयोगी साधन सामग्री।

2.टी.एल.एम.अनुदान :– अध्ययन अध्यापन सामग्री अनुदान यानि के "विद्यार्थीओं की सहभागीता से अध्ययन साधन का निर्माण करने हेतु अनुदान"।

1.15 शोध प्रश्न (Research Questions):-

- ❖ क्या शिक्षक द्वारा खरीदे गये या तैयार किए गए टी.एल.एम.का शैक्षिक प्रवृत्ति में संबंध है ?
- ❖ क्या खरीदे गये और बनाये गये टी.एल.एम.और विषयवस्तु के बीच कोई सम्बंध है ?
- ❖ शिक्षक द्वारा टी.एल.एम.का उपयोग होता है या नहीं ?

1.15 शोध की मर्यादा (Limitations and Delimitations) :–

1. यह अनुसंधान की मर्यादा यह है कि यह कम समय में करना है।
2. यह अनुसंधान छोटे पैमाने पर यानि छोटे न्यादर्श पर करना है।
3. यह अनुसंधान गुजरात राज्य के साबरकांठा जिले के इडर तहसील के एक झूथ (बडोली) तक ही सीमित है।